

भारत में महिला सशक्तिकरण एवं योजनाएं : एक अध्ययन

राजेश बोरकर

शोधार्थी

अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

डॉ. उमेश कुमार दुबे

प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग

शासकीय कन्या महाविद्यालय, राड़ी
जबलपुर (म.प्र.)

शोध सारांश :-

यह पत्रा भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता का विश्लेषण करने का प्रयास करता है और महिला सशक्तिकरण के तरीकों और योजनाओं पर प्रकाश डालता है। सशक्तिकरण सामाजिक विकास की मुख्य प्रक्रिया है, जो महिलाओं को ग्रामीण समुदायों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सतत विकास में भाग लेने में सक्षम बनाती है। आज महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है, लेकिन व्यावहारिक रूप से महिला सशक्तिकरण अभी भी वास्तविकता का एक भ्रम है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से समाज में पारंपरिक रूप से वंचित महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि कैसे महिलाएं विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार बनती हैं। महिला सशक्तिकरण संसाधनों के लिए महिलाओं की क्षमता का विस्तार करने और रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। यह अध्ययन विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। भारत की महिलाएं अपेक्षाकृत अशक्त हैं और सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों के बावजूद वे पुरुषों की तुलना में कुछ कम स्थिति का आनंद लेती हैं। यह पाया गया है कि महिलाओं द्वारा असमान लैंगिक मानदंडों की स्वीकृति अभी भी समाज में प्रचलित है। अध्ययन का निष्कर्ष इस अवलोकन से निकला है कि बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और विभिन्न योजनाओं को लागू करना महिला सशक्तिकरण के लिए सक्षम कारक हैं।

मुख्य शब्द – महिला अधिकारिता, बुनियादी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, योजना कार्यान्वयन।

परिचय –

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य महिलाओं के व्यक्तियों और समुदायों की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लिंग या आर्थिक शक्ति को बढ़ाना है। महिलाएं हर अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग हैं। किसी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास और सामंजस्यपूर्ण विकास तभी संभव होगा जब महिलाओं को पुरुषों के साथ प्रगति में समान भागीदार माना जाएगा। भारत में महिला सशक्तिकरण कई अलग-अलग चरों पर बहुत अधिक निर्भर है जिसमें भौगोलिक स्थिति (शहरी/ग्रामीण), शैक्षिक स्थिति, सामाजिक स्थिति (जाति और वर्ग) और उम्र शामिल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक अवसर, लिंग आधारित हिंसा और राजनीतिक भागीदारी सहित कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय (पंचायत) स्तरों पर महिला सशक्तिकरण पर नीतियां मौजूद हैं। महिला सशक्तिकरण स्वायत्तता और उनके जीवन पर नियंत्रण को सक्षम बनाता है। सशक्त महिलाएं अपने खुद के विकास की एजेंट बन जाती हैं, अपने स्वयं के एजेंडे को निर्धारित करने के लिए विकल्पों का प्रयोग करने में सक्षम हो जाती हैं और समाज में अपनी अधीनस्थ स्थिति को चुनौती देने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के पास आनुपातिक रूप से सबसे कम संपत्ति, कौशल, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, नेतृत्व के गुण और लामबंदी की क्षमता होती है, जो निर्णय लेने और शक्ति की डिग्री निर्धारित करती है, और परिणामस्वरूप, पुरुषों पर उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। उन्हें घर

की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया है, वे घरेलू कार्यों के बोझ से दबी हुई हैं और अनादि काल से घर के पुरुषों द्वारा उनकी गतिशीलता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए वे शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गई हैं और परिणामस्वरूप, उनके काम को आर्थिक दृष्टि से बहुत कम आंका गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है, यह उन्हें सभी प्रकार की हिंसा से बचाने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में महिलाओं की स्थितियों, महिलाओं के भेदभाव, महिलाओं के अधिकारों, महिलाओं के लिए अवसर और लैंगिक समानता के महत्व के बारे में जागरूकता और चेतना पैदा करना, सामूहिक रूप से एक समूह का आयोजन करना, समूह की पहचान और समूह का दबाव शामिल है। क्षमता निर्माण और कौशल विकास, योजना बनाने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, व्यवस्थित करने की क्षमता, प्रबंधन करने की क्षमता, गतिविधियों को करने की क्षमता, अपने आसपास की दुनिया में लोगों और संस्थानों से निपटने की क्षमता, घर पर, समुदाय में और समाज में निर्णय लेने में भागीदारी, और संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण, उत्पादकता के साधनों पर और अधिक वितरण सशक्तिकरण है। सशक्तिकरण एक पदानुक्रम के निचले स्तर पर उन लोगों के पक्ष में शक्ति संबंधों को बदलने की प्रक्रिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा महिलाओं को आत्म-साक्षात्कार की शक्ति को बढ़ाया और सुदृढ़ किया जाता है। वे लिंग, सामाजिक और आर्थिक स्थिति और परिवार और समाज में भूमिका के संबंध में अधीनता को पार करके आत्मनिर्भरता की क्षमता विकसित करती हैं। इसमें चुनाव करने, संसाधनों को नियंत्रित करने और परिवार और समुदाय के भीतर भागीदारी संबंधों का आनंद लेने की क्षमता भी इसमें शामिल है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण में उनकी भागीदारी की क्षमता भी निहित है और अपने लक्ष्य की दिशा में उनकी प्रगति में बाधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व करना भी शामिल है। महिला सशक्तिकरण में एक समाज, एक राजनीतिक वातावरण का निर्माण शामिल है, जिसमें महिलाएं उत्पीड़न, शोषण, आशंका, भेदभाव और उत्पीड़न की सामान्य भावना के बिना सांस ले सकती हैं, जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान ढांचे में एक महिला होने के साथ चलती है। महिलाएं दुनिया की आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, लेकिन भारत ने अनुपातहीन लिंगानुपात दिखाया है जिससे महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में कम रही है। अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को देश के विकास एजेंडे में रखा जाना चाहिए। उन्हें भी विकास में भागीदार बनाया जाना चाहिए और विकास अंततः सशक्तिकरण की एक प्रक्रिया बन जाता है। यह सामाजिक और राष्ट्रीय विकास के हर पहलू में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। महिलाओं के उत्पादकता स्तर को बढ़ाने के लिए यह भागीदारी जरूरी है। इस प्रकार, महिला सशक्तिकरण व्यक्तिगत महिलाओं के विकल्पों और उत्पादकता स्तरों और महिला समूहों के सामूहिक योगदान को बढ़ाएगा। जहाँ तक उनकी सामाजिक स्थिति का सवाल है, उन्हें सभी जगहों पर पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है। पश्चिमी समाजों में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार और दर्जा प्राप्त है। लेकिन भारत में आज भी लैंगिक अक्षमताएं और भेदभाव पाए जाते हैं। विरोधाभासी स्थिति यह है कि महिलाओं को कभी देवी के रूप में और कभी केवल दासी के रूप में देखा जाता है।

अध्ययन का उद्देश्य:

1. महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को जानना।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
3. भारत में महिला सशक्तिकरण की जागरूकता का आकलन करना।
4. महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली भ्रांतियों की पहचान करना।

5. महिला सशक्तिकरण के लाभ के लिए उचित सरकारी योजनाएँ।
6. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण करना।
7. समाज में लैंगिक भेदभाव को समझना।
8. सामाजिक संतुलन के विकास के लिए उपयोगी सुझाव देना

अनुसंधान क्रियाविधि :

यह पेपर मूल रूप से वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इस पत्रा में भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इसमें उपयोग किया गया डेटा इस अध्ययन की आवश्यकता के अनुसार विशुद्ध रूप से द्वितीयक स्रोतों से लिया गया है। भारत में महिलाओं की वर्तमान स्थिति, अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना अभी भी भारतीय महिलाओं के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। न केवल वे हाशिए पर हैं क्योंकि सार्वजनिक हस्तियां औसत भारतीय महिलाएं शायद ही घर या बाहर निर्णय ले सकती हैं। पिछली जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात 940 है और पुरुषों की 80 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत है। भारत में साक्षरता दर और लिंगानुपात हमेशा चिंता का विषय रहा है, क्योंकि दोनों ही मामलों में हमारी महिलाओं की जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या के संबंध में, दौड़ में पीछे है।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के फायदे :

भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को महिलाओं को सशक्त बनाने के मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 66 प्रतिशत महिला आबादी अप्रयुक्त है। यह मुख्य रूप से मौजूदा सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण है। कृषि और पशु देखभाल में महिलाएं कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत योगदान करती हैं। महिलाएं लगभग आधी आबादी का गठन करती हैं, अपने कुल समय के लगभग 2/3 घंटे काम करती हैं, दुनिया की आय का 1/10वां हिस्सा प्राप्त करती हैं और दुनिया की संपत्ति के 1/100वें हिस्से से कम की मालिक हैं। भारतीय संस्कृति के अतीत के “वेद पुराण” में, महिलाओं की पूजा लक्ष्मी माँ, धन की देवी के रूप में की जाती है, सरस्वती माँ, ज्ञान के लिए, सत्ता के लिए दुर्गा माँ की पूजा होती है। दुनिया के 900 मिलियन निरक्षर लोगों में से 70 प्रतिशत गरीबी में रहने वाली महिलाएं हैं। कम लिंग अनुपात यानी 933, विश्व संसद में केवल 10 प्रतिशत सीटें और राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में 6 प्रतिशत सीटें महिलाओं के पास हैं। मौजूदा अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत कम स्वस्थ हैं, हालांकि वे एक ही वर्ग से संबंधित हैं। वे विकासशील देशों में प्रशासकों और प्रबंधकों के पदों पर 1/7 से भी कम हैं। कम उम्र की लड़कियों को परिवार में एक बड़ा बोझ माना जाता है। आधुनिक समय में बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं जो हमें महिला आबादी की सुरक्षा के बारे में पहल करने के लिए मजबूर करते हैं।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी योजनाएं :

भारत सरकार ने विभिन्न गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को लागू किया। इन कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष घटक हैं। वर्तमान में, भारत सरकार के पास विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा संचालित महिलाओं के लिए 37 से अधिक योजनाएं हैं। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की विशेष रूप से महिलाओं की कवरेज के संदर्भ में निगरानी की जाती है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:—

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)लगभग 9000 गाँवों में महिला समाख्या क्रियान्वित की जा रही है ।
2. (आजीविका) और इंदिरा आवास योजना ।
3. जेंडर बजटिंग योजना (ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना) ।
4. सिडबी की महिला उद्यम निधि महिला विकास निधि ।
5. एनजीओ की क्रेडिट योजनाएं ।
6. कामकाजी और बीमार मां के बच्चों के लिए क्रेच/डे केयर सेंटर ।
7. राष्ट्रीय महिला अधिकारिता मिशन ।
8. राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.) 1992–1993 ।
9. किशोर लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (आर.जी.एस.ई.ए.जी) (2010) ।
10. स्वालम्बन ।
11. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के लिए सहायता ।
12. एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (2009–2010) ।
13. स्वाधार ।
14. स्वयंसिद्धा ।
15. कृषि और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राष्ट्रीय बैंक ।
16. खादी और ग्रामोद्योग आयोग ।
17. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास ।
18. उज्ज्वला (2007) ।
19. कामकाजी महिला मंच
20. महिला समृद्धि योजना (MSY) अक्टूबर, 1993 ।
21. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) ।
22. स्वं शक्ति समूह ।
23. कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना ।
24. शॉर्ट स्टे होम्स ।
25. महिला विकास निगम योजना (डब्ल्यू.डी.सी.एस.) ।
26. इंदिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.) ।
27. धनलक्ष्मी (2008) ।
28. महिला उद्यम विकास कार्यक्रम को 1997–98 में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई ।
29. महिला समिति योजना ।
30. एसबीआई की श्री सखी योजना ।
31. इंदिरा महिला केंद्र ।
32. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण ।
33. इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना ।

34. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.)।

35. बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ योजना।

महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता: भारत सरकार ने भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। लेकिन समाज के हर स्तर पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और उन्हें हाशिए पर रखा जाता है, चाहे वह सामाजिक भागीदारी हो, राजनीतिक भागीदारी हो, आर्थिक भागीदारी हो, शिक्षा तक पहुंच हो, और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल भी हो। पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत गरीब पाया जाता है। कुछ महिलाएं सेवाओं और अन्य गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसलिए, उन्हें पुरुषों के साथ-साथ खड़े होने के लिए समान आर्थिक शक्ति की आवश्यकता है। बलात्कार, लड़की के अपहरण, दहेज प्रताड़ना आदि के न जाने कितने मामले हैं। इन कारणों से, उन्हें अपनी सुरक्षा और अपनी पवित्रता और गरिमा को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, यह देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम साक्षर पाई जाती हैं। इस प्रकार, महिलाओं के बीच बढ़ती शिक्षा उन्हें सशक्त बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा शारीरिक रूप से इतना कमजोर है कि वे अपने द्वारा खाए जाने वाले भोजन से अधिक काम करती हैं। इस भेदभाव को समाज के कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण को संबोधित करने की जरूरत है, ताकि उन्हें शक्तिशाली और सम्मानित बनाया जा सके। एक और समस्या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न है। संक्षेप में, महिला सशक्तिकरण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक महिलाएं साथ नहीं आतीं और स्वयं को सशक्त बनाने में मदद नहीं करतीं। नारीकृत गरीबी को कम करने, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने, महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम और उन्मूलन और देश की महिला आबादी को सशक्त बनाने के लिए बुनियादी संपत्ति बनाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

अध्ययन से हमने निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान परिदृश्य में भारतीय महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए और ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जो महिलाओं की आबादी के अधिकारों और बुनियादी जरूरतों को समायोजित करने में मदद करें। इस प्रकार, आय, रोजगार और शैक्षिक मोर्चे पर उपलब्धि के क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण का परिदृश्य तुलनात्मक रूप से खराब प्रतीत होता है और इसकी जांच करने की आवश्यकता है। क्यों कि महिलाओं के सशक्तिकरण से लैंगिक भेदभाव के उन्मूलन और पुरुषों और महिलाओं के बीच शक्ति संतुलन का निर्माण न केवल महिलाओं के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि पूरे समाज को राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से लाभान्वित करेगा। महिलाओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है और देश आगे बढ़ता है। सशक्तिकरण आवश्यक है, क्योंकि उनके विचार और उनकी मूल्य प्रणालियां एक अच्छे परिवार, अच्छे समाज और अंततः एक अच्छे राष्ट्र के विकास का नेतृत्व करती हैं। महिला सशक्तिकरण न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक बन गया है। समाज को समाज के उत्थान और समग्र रूप से समाज की भलाई के लिए दोनों लिंगों को समान अवसर प्रदान करना चाहिए। महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और हर देश में लैंगिक असमानता मौजूद है। जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर नहीं दिए जाते, तब तक पूरे समाज को उनकी वास्तविक क्षमता से कम प्रदर्शन करने के लिए नियत किया जाएगा। सशक्तिकरण का सबसे अच्छा तरीका महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अकेले सरकार की पहल पर्याप्त नहीं होगी क्योंकि सशक्तिकरण तभी वास्तविक और प्रभावी होगा जब वे आय और संपत्ति से संपन्न होंगी, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और समाज में अपनी पहचान बना सकें। समाज को एक ऐसा महिला बनाने की पहल करनी

चाहिए जिसमें सरकार द्वारा महिला विकास के लिए बनाई गई योजनाओं से उन्हें उचित लाभ मिल सके। कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और महिलाओं को समानता की भावना के साथ देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में स्वयं निर्णय लेने और भाग लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

- [1]. अन्नपूर्णा नौटियाल, हिमांशु बौराई। (2009)। 'गढ़वाल हिमालय में महिला सशक्तिकरण, बाधाएँ और संभावनाएँ, कल्याज प्रकाशन, दिल्ली।
- [2]. ब्रैडी, मार्था (2005). विकासशील विश्व में युवा महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान बनाना और सामाजिक संपत्ति का निर्माण करना खेल के लिए एक नई भूमिका। महिला अध्ययन त्रैमासिक 2005, खंड 33, संख्या 1 और 2
- [3]. क्रिस्टाबेल, पी.जे., (2009)। क्षमता निर्माण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण माइक्रोफाइनेंस की भूमिकाएँ, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली।
- [4]. दांडीकर, हेमलता.(1986). भारतीय महिला विकास, चार दृष्टिकोण। दक्षिण एशिया बुलेटिन, (1), 2–10। दिल्ली।
- [5]. डॉ. दासरती भुइयां (2006)। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण, 21वीं सदी की एक चुनौती, उड़ीसा समीक्षा।
- [6]. हैंडी, एफ., और कसम, एम. (2004)। ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण. आईएसटीआर सम्मेलन, टोरंटो कनाडा में प्रस्तुत किया गया पेपर।
- [7]. हैरियट बी. प्रेसर, गीता सेन, (2003)। महिला सशक्तिकरण और जनसांख्यिकीय प्रक्रियाएँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।
- [8]. कबीर, एन. (1995). महिलाओं को निशाना बनाना या संस्थाओं को बदलना? एनजीओ के गरीबी उन्मूलन प्रयासों से नीतिगत सबक। व्यवहार में विकास 5(2), 108–116.
- [9]. कबीर, एन. (2005). लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण: तीसरे सहस्राब्दी विकास लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। लिंग और विकास 13(1), 13–24. 10. कबीर, नैला. (2003)। उलटी वास्तविकताएँ: विकास विचार में लिंग पदानुक्रम। लंदन, वर्सो, पीपी-69–79, 130–136।